न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 58 / 2020(2020 / 00300)
अनवान : —

1. रणजीत उर्फ जीता पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी चनाण तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— श्री दलवीर बैनीवाल प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय — दिनांक : 13/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम डूंगरसिंहपुरा के खाता सं 97 / 93 के खसरा नम्बर 47 की 2.6810 है0, खसरा न0 49 की 7.7780 है0 कुल खसरा 2 की 10.4590 हैक्टेयर कृषि भूमि में जीताराम के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जीताराम के स्थान पर रणजीत है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम जीताराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रणजीत है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज रणजीत नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम रणजीत पुत्र कुम्भाराम ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जीताराम की जगह रणजीत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी रणजीत पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी चनाण तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम डूंगरसिंहपुरा संवत 2074—77 खाता सं 97 / 93 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये, साथ ही आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम डूंगरसिंहपुरा के खाता सं 97/93 के खसरा नम्बर 47 की 2.6810 है0, खसरा न0 49 की 7.7780 है0 कुल खसरा 2 की 10.4590 हैक्टेयर कृषि भूमि में जीताराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से रणजीत की जगह जीताराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम रणजीत पुत्र कुम्भाराम है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो रणजीत नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा ग्राम डूंगरसिंहपुरा के खाता सं 97/93 के खसरा नम्बर 47 की 2.6810 है0, खसरा न0 49 की 7.7780 है0 कुल खसरा 2 की 10.4590 हैक्टेयर कृषि भूमि में जीताराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **जीताराम की जगह रणजीत उर्फ जीता** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में देय बकाया हो तो उसके लिए भी जीताराम नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:07 IST
Reason: SelfAttested